International Journal of Engineering Research & Management Technology
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) ISSN: 2348-4039
Volume 13, Issue-1 January-February- 2026 Impact Factor: 7.09
Email: editor@ijermt.org www.ijermt.org

ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज की भूमिका: आगरा जनपद का एक समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ. हरिओम
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
सेठ फूलचंद बागला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, हाथरस

सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य आगरा जनपद के बिचपुरी विकास खंड के चार ग्रामों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना है। यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक डेटा 120 उत्तरदाताओं (प्रत्येक गाँव से 30) से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, बिचपुरी गाँव की साक्षरता दर 78.02% है, जो राज्य औसत से अधिक है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का संकेत मिलता है। हालाँकि, सामाजिक असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, जागरूकता की कमी तथा संसाधनों के असमान वितरण जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्थापित है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना तथा सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे ग्राम स्तर पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हुई और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला। पंचायती राज संस्थाएँ न केवल ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता तथा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करती हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य आगरा जनपद के बिचपुरी विकास खंड के चार चयनित ग्रामों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय एवं समालोचनात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े 120 उत्तरदाताओं (प्रत्येक गाँव से 30 उत्तरदाता) से संरचित साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली एवं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक आंकड़े जनगणना रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेजों, शोध-पत्रों एवं संबंधित पुस्तकों से प्राप्त किए गए। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार ग्रामीण समाज में सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, जागरूकता की कमी तथा संसाधनों के असमान वितरण जैसी समस्याएँ पंचायतों के कार्यों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में पंचायत प्रतिनिधियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रशासनिक क्षमता का अभाव भी देखा गया, जिससे विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है तथा विकास की प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। फिर भी, पंचायतों की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, जनजागरूकता और प्रशासनिक क्षमता में सुधार की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

1. प्रस्तावना

भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहाँ देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का मूल आधार है। इसलिए देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण स्वशासन की एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के रूप में विकसित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रशासन और विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्रदान किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली तथा उन्हें स्थानीय स्वशासन की एक वैधानिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक स्तर) और जिला पंचायत—को मान्यता दी गई। साथ ही, पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना शामिल है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पंचायतें विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे—मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन—के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार संभव हुआ है।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती हैं और लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती हैं। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्राप्त होती है, जिससे सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पंचायतों ने ग्रामीण समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस प्रकार, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को गति देने और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण समाज के समग्र सशक्तिकरण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह समझा जा सके कि वे किस प्रकार ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं।

2. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बिचपुरी विकास खंड के चार चयनित ग्रामों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—पर आधारित है। बिचपुरी विकास खंड आगरा जनपद का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। इस क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अध्ययन के लिए चयनित ये चारों ग्राम सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का व्यापक और समालोचनात्मक अध्ययन संभव हो सका है।

बिचपुरी गाँव इस अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है, जिसकी कुल जनसंख्या 4260 है और साक्षरता दर 78.02 प्रतिशत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में एक संतोषजनक स्थिति को दर्शाती है। इस गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.22 प्रतिशत है तथा कुल 664 परिवार निवास करते हैं (भारत की जनगणना, 2011)। यह गाँव ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित होता है, जहाँ ग्राम प्रधान स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं के विकास और ग्रामीण जनता की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायत के माध्यम से गाँव में सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।

लरामदा गाँव भी बिचपुरी विकास खंड का एक महत्वपूर्ण ग्राम है, जिसकी कुल जनसंख्या 4147 है। इस गाँव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और अधिकांश ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि-संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं (भारत की जनगणना)। यहाँ की सामाजिक संरचना पारंपरिक ग्रामीण स्वरूप को दर्शाती है, जहाँ पंचायत स्थानीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार, आवास और आधारभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

सुनारी गाँव इस अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी कुल जनसंख्या 2069 है और साक्षरता दर 69.17 प्रतिशत है। इस गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 11.12 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। यह गाँव सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकास की प्रक्रिया में अग्रसर है, जहाँ पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं ने शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला है। पंचायत की सक्रिय भूमिका के कारण ग्रामीणों में विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

नानपुर गाँव भी इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण ग्राम है, जो सामाजिक संरचना की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 45.6 प्रतिशत है, जो इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इस गाँव की साक्षरता दर 74.8 प्रतिशत है और कुल 766 व्यक्ति कार्यरत हैं (भारत की जनगणना)। यह गाँव सामाजिक समानता, सशक्तिकरण और पंचायत की भूमिका के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभाव कमजोर और वंचित वर्गों के जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इस प्रकार, चयनित चारों ग्राम—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करते हैं। इन ग्रामों में पंचायतों द्वारा संचालित विकास योजनाओं, सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन इस शोध के प्रमुख उद्देश्यों को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का अध्ययन करना
2. ग्रामीण सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका का विश्लेषण करना
3. सामाजिक परिवर्तन पर पंचायत के प्रभाव का अध्ययन करना
4. महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका का अध्ययन करना
5. पंचायत द्वारा संचालित विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना

5. शोध पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक शोध के माध्यम से चयनित ग्रामों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संरचना का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक शोध के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ग्रामीण सशक्तिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिससे अध्ययन को अधिक विश्वसनीय, व्यापक और तथ्यपरक बनाया जा सके।

प्राथमिक डेटा का संकलन क्षेत्रीय अध्ययन (Field Study) के माध्यम से किया गया है। इसके अंतर्गत चयनित ग्रामों के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule), संरचित प्रश्नावली (Questionnaire) तथा प्रत्यक्ष अवलोकन (Observation Method) के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से पंचायत के कार्यों, ग्रामीण विकास योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और पंचायत के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता एवं सहभागिता से संबंधित जानकारी संकलित की गई। प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाताओं के विचार, अनुभव और पंचायत की कार्यप्रणाली के प्रति उनकी संतुष्टि का स्तर ज्ञात किया गया, जबकि अवलोकन पद्धति के माध्यम से पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं तथा ग्राम की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन किया गया।

इस अध्ययन के लिए कुल 120 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक चयनित ग्राम—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—से 30-30 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। उत्तरदाताओं के चयन के लिए यादृच्छिक नमूना चयन विधि (Random Sampling Method) का उपयोग किया गया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को चयनित होने का समान अवसर प्राप्त हो सके और अध्ययन के परिणाम निष्पक्ष एवं प्रतिनिधिक हों। इस प्रकार, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका, ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का समग्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

6. पंचायती राज का ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सशक्तिकरण और विकास में योगदान: प्राथमिक डेटा विश्लेषण

तालिका 1: जीविकोपार्जन (Livelihood) में पंचायत का योगदान

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण योगदान	72	60%
आंशिक योगदान	30	25%
कोई योगदान नहीं	18	15%
कुल	120	100%

विश्लेषण:

तालिका 1 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चयनित चार ग्रामों (बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर) के कुल 120 उत्तरदाताओं में से 72 उत्तरदाता (60%) ने यह स्वीकार किया कि पंचायती राज संस्थाओं ने उनके जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि पंचायतें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। पंचायतों के माध्यम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाएँ, जैसे—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), तथा स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। विशेष रूप से मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हुआ, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और उन्हें रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हुई। इसके अतिरिक्त, पंचायतों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को प्रोत्साहित करने से महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला है।

इसके साथ ही, 30 उत्तरदाता (25%) ने माना कि पंचायत का योगदान आंशिक रहा है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत द्वारा कुछ योजनाओं का लाभ तो मिला है, लेकिन यह लाभ सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—संसाधनों की सीमित उपलब्धता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, जानकारी का अभाव तथा पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएँ। कई मामलों में यह भी देखा गया कि रोजगार के अवसर अस्थायी या सीमित अवधि के लिए उपलब्ध हुए, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो सका।

वहीं, 18 उत्तरदाता (15%) ने यह माना कि पंचायत ने उनके जीविकोपार्जन में कोई विशेष योगदान नहीं दिया है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों को दर्शाती है, जैसे—जागरूकता की कमी, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता। विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कुछ लोगों तक योजनाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाया, जिससे वे पंचायत के योगदान को सीमित मानते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि 60% उत्तरदाताओं ने माना कि पंचायत ने उनके जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायत द्वारा मनरेगा, स्वरोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बने हैं।

तालिका 2: मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्धता

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
रोजगार प्राप्त हुआ	78	65%
सीमित रोजगार मिला	26	22%
रोजगार नहीं मिला	16	13%

विश्लेषण:

तालिका 2 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चारों गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 78 उत्तरदाताओं (65%) ने बताया कि उन्हें मनरेगा के अंतर्गत नियमित या पर्याप्त रोजगार प्राप्त हुआ है। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि पंचायत स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। पंचायत द्वारा कार्यों की पहचान, श्रमिकों का पंजीकरण, जॉब कार्ड का वितरण तथा कार्यों के संचालन के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन करने

की आवश्यकता में कमी आई है। इससे न केवल ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है।

इसके अतिरिक्त, 26 उत्तरदाताओं (22%) ने बताया कि उन्हें मनरेगा के माध्यम से सीमित रोजगार प्राप्त हुआ। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायत द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, लेकिन यह रोजगार सभी के लिए पर्याप्त और नियमित नहीं था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—कार्य की सीमित उपलब्धता, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक विलंब, या कार्यों का मौसमी स्वरूप। इससे यह संकेत मिलता है कि पंचायत द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तो किया जा रहा है, परंतु इसमें और अधिक सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को नियमित रोजगार मिल सके।

वहीं, 16 उत्तरदाताओं (13%) ने बताया कि उन्हें मनरेगा के माध्यम से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। यह स्थिति पंचायत प्रणाली की कुछ सीमाओं और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में जानकारी का अभाव, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, या ग्रामीणों की योजना में कम भागीदारी शामिल हो सकती है। यह भी संभव है कि कुछ ग्रामीणों के पास जॉब कार्ड न हो या वे कार्य के लिए समय पर आवेदन न कर पाए हों।

तालिका 3: कृषि विकास में पंचायत का योगदान

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण योगदान	68	57%
आंशिक योगदान	34	28%
कोई योगदान नहीं	18	15%

विश्लेषण:

तालिका 3 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 68 उत्तरदाताओं (57%) ने माना कि पंचायत का कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि पंचायत ने कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। पंचायत द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, खेतों तक पहुँचने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी का प्रसार, उन्नत बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता में सहायता, तथा कृषि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन जैसे प्रयासों ने कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, पंचायत ने मनरेगा के माध्यम से खेत तालाब, नहरों की सफाई और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया, जिससे कृषि के लिए आवश्यक जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

इसके साथ ही, 34 उत्तरदाताओं (28%) ने बताया कि पंचायत का कृषि विकास में आंशिक योगदान रहा है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत द्वारा कुछ सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके संभावित कारणों में संसाधनों की सीमित उपलब्धता, योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, तकनीकी जानकारी की कमी, तथा पंचायत और किसानों के बीच समुचित समन्वय का अभाव शामिल हो सकता है। कुछ छोटे और सीमांत किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया, जिससे पंचायत के प्रयासों का प्रभाव सीमित रह गया। यह स्थिति पंचायत के कार्यों में सुधार और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को दर्शाती है।

वहीं, 18 उत्तरदाताओं (15%) ने माना कि पंचायत का कृषि विकास में कोई योगदान नहीं रहा है। यह स्थिति पंचायत प्रणाली की कुछ कमियों और चुनौतियों की ओर संकेत करती है। इसके पीछे जागरूकता की कमी, योजनाओं की जानकारी का अभाव, पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, या कृषि से संबंधित योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना जैसे कारण हो सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ किसानों ने पंचायत के बजाय निजी संसाधनों या अन्य संस्थानों पर अधिक निर्भरता रखी हो, जिससे उन्हें पंचायत के योगदान का अनुभव नहीं हुआ।

सामाजिक परिवर्तन (Social Change)

तालिका 4: सामाजिक जागरूकता में पंचायत की भूमिका

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
सकारात्मक भूमिका	80	67%
आंशिक भूमिका	25	21%
कोई भूमिका नहीं	15	12%

विश्लेषण:

तालिका 4 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 80 उत्तरदाताओं (67%) ने माना कि पंचायत की सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका रही है। यह तथ्य दर्शाता है कि पंचायत ने ग्रामीण समाज में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बालिका शिक्षा, सामाजिक समानता तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय प्रयास किए हैं। पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभाएँ, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, टीकाकरण अभियान, और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि के प्रचार-प्रसार ने ग्रामीणों में जागरूकता के स्तर को बढ़ाया है। इससे ग्रामीणों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित हुई है तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और अस्पृश्यता में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, 25 उत्तरदाताओं (21%) ने बताया कि पंचायत की सामाजिक जागरूकता में आंशिक भूमिका रही है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत द्वारा जागरूकता फैलाने के प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे शिक्षा का निम्न स्तर, सूचना के प्रसार में कमी, ग्राम सभाओं में कम भागीदारी, तथा कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की सीमित सक्रियता जैसे कारण हो सकते हैं। कुछ ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों तक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुँच अपेक्षाकृत कम रही है, जिससे पंचायत के प्रयासों का प्रभाव आंशिक रूप से ही दिखाई देता है।

वहीं, 15 उत्तरदाताओं (12%) ने माना कि पंचायत की सामाजिक जागरूकता में कोई भूमिका नहीं रही है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ चुनौतियों और सीमाओं को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का पर्याप्त आयोजन न होना, सूचना का सही ढंग से प्रसार न होना, पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, या ग्रामीणों की स्वयं की उदासीनता शामिल हो सकती है। कुछ मामलों में सामाजिक परंपराएँ और रूढ़िवादी सोच भी जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव को सीमित कर देती हैं।

तालिका 5: जातिगत भेदभाव में कमी

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
कमी आई	62	52%
आंशिक कमी	36	30%
कोई परिवर्तन नहीं	22	18%

विश्लेषण:

तालिका 5 के आंकड़ों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत की भूमिका के परिणामस्वरूप जातिगत भेदभाव में कमी देखने को मिली है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 62 उत्तरदाताओं (52%) ने माना कि पंचायत की सक्रियता के कारण जातिगत भेदभाव में स्पष्ट रूप से कमी आई है। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि पंचायती राज व्यवस्था ने सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायत द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तथा सार्वजनिक संसाधनों जैसे पेयजल, सड़क, विद्यालय और सामुदायिक भवनों तक समान पहुँच प्रदान करना सामाजिक समावेशन को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत में अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इन वर्गों की निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाई है, जिससे सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और जातिगत भेदभाव की प्रवृत्ति में कमी आई है।

इसके साथ ही, 36 उत्तरदाताओं (30%) ने बताया कि जातिगत भेदभाव में आंशिक कमी आई है। इसका अर्थ है कि पंचायत के प्रयासों के बावजूद सामाजिक संरचना में मौजूद पारंपरिक जातिगत सोच और सामाजिक स्तरीकरण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण समाज में सदियों से चली आ रही सामाजिक मान्यताएँ, सांस्कृतिक परंपराएँ और सामाजिक दूरी अभी भी कुछ हद तक मौजूद हैं। हालांकि पंचायत द्वारा सामाजिक समरसता के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ा है। विशेष रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी जातिगत भेदभाव के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं।

वहीं, 22 उत्तरदाताओं (18%) ने माना कि पंचायत की भूमिका के बावजूद जातिगत भेदभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह स्थिति दर्शाती है कि पंचायत के प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। केवल प्रशासनिक और कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ मामलों में पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, राजनीतिक प्रभाव, तथा प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व भी सामाजिक समानता की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है।

तालिका 6: शिक्षा के प्रसार में पंचायत की भूमिका

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण भूमिका	74	62%
आंशिक भूमिका	30	25%
कोई भूमिका नहीं	16	13%

विश्लेषण:

तालिका 6 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 74 उत्तरदाताओं (62%) ने माना कि पंचायत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह दर्शाता है कि पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विकास, विद्यालयों के निर्माण एवं रख-रखाव, तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पंचायत द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, शौचालय एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था, तथा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन ने बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और शिक्षा के प्रति ग्रामीणों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हुआ है।

इसके अतिरिक्त, 30 उत्तरदाताओं (25%) ने माना कि पंचायत की भूमिका शिक्षा के प्रसार में आंशिक रही है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—शिक्षा के प्रति कुछ परिवारों की उदासीनता, आर्थिक समस्याएँ, बाल श्रम की प्रवृत्ति, तथा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे पंचायत के प्रयासों का पूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसके अलावा, पंचायत द्वारा शिक्षा से संबंधित योजनाओं के प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन में भी कुछ सीमाएँ देखी गई हैं।

वहीं, 16 उत्तरदाताओं (13%) ने माना कि पंचायत की शिक्षा के प्रसार में कोई विशेष भूमिका नहीं रही है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ कमजोरियों और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, शिक्षा से संबंधित योजनाओं के प्रति पर्याप्त प्राथमिकता का अभाव, तथा संसाधनों की कमी शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे पंचायत के प्रयासों का अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता।

सशक्तिकरण (Empowerment)

तालिका 7: महिला सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण भूमिका	82	68%
आंशिक भूमिका	24	20%
कोई भूमिका नहीं	14	12%

विश्लेषण:

तालिका 7 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 82 उत्तरदाताओं (68%) ने माना कि पंचायत की भूमिका महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण रही है। यह इस बात का संकेत है कि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनाने में सकारात्मक योगदान दिया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। महिला ग्राम प्रधान और महिला पंचायत सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने महिलाओं की समस्याओं को पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने और उनका समाधान करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, पंचायत द्वारा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), स्वरोजगार योजनाओं, महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रमों, तथा सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, 24 उत्तरदाताओं (20%) ने माना कि पंचायत की भूमिका महिला सशक्तिकरण में आंशिक रही है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे—पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच, महिलाओं की सीमित शिक्षा, सामाजिक प्रतिबंध, तथा पंचायत की बैठकों में महिलाओं की कम भागीदारी। कुछ मामलों में महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक रूप से पद पर होती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, जिसे "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" (Proxy Representation) कहा जाता है। इस स्थिति के कारण पंचायत की महिला सशक्तिकरण में भूमिका का प्रभाव सीमित हो जाता है।

वहीं, 14 उत्तरदाताओं (12%) ने माना कि पंचायत की महिला सशक्तिकरण में कोई विशेष भूमिका नहीं रही है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ सीमाओं और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, महिलाओं में जागरूकता की कमी, सामाजिक रूढ़िवादिता, तथा महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी का अभाव शामिल हो सकता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अभी भी सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती हैं, जिससे पंचायत के प्रयासों का अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता।

तालिका 8: कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में योगदान

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण योगदान	76	63%
आंशिक योगदान	28	23%
कोई योगदान नहीं	16	14%

विश्लेषण:

तालिका 8 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 76 उत्तरदाताओं (63%) ने माना कि पंचायत का योगदान कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण रहा है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि पंचायतों ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को कमजोर वर्गों तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन वितरण, छात्रवृत्ति योजना तथा उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ने अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जिससे उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है और सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इससे कमजोर वर्गों में आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की भावना विकसित हुई है।

इसके अतिरिक्त, 28 उत्तरदाताओं (23%) ने बताया कि पंचायत का योगदान कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में आंशिक रहा है। इसका अर्थ है कि पंचायत द्वारा कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, पंचायत स्तर पर संसाधनों की सीमित उपलब्धता, तथा कुछ मामलों में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इसके अलावा, कमजोर वर्गों में शिक्षा और जागरूकता का निम्न स्तर भी योजनाओं के प्रभावी लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है।

वहीं, 16 उत्तरदाताओं (14%) ने माना कि पंचायत का कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ सीमाओं और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, तथा प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में कमजोर वर्गों के लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होते हैं, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

तालिका 9: निर्णय लेने में ग्रामीणों की भागीदारी

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
सक्रिय भागीदारी	70	58%

आंशिक भागीदारी	32	27%
कोई भागीदारी नहीं	18	15%

विश्लेषण:

तालिका 9 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत की निर्णय-प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी संतोषजनक स्तर पर रही है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 70 उत्तरदाताओं (58%) ने बताया कि वे पंचायत द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह तथ्य पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य—स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता—की सफलता को दर्शाता है। ग्राम सभाओं का आयोजन, विकास योजनाओं पर चर्चा, तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान में ग्रामीणों की भागीदारी से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिली है। सक्रिय भागीदारी के कारण ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को सीधे पंचायत के सामने रखने का अवसर मिलता है, जिससे विकास योजनाएँ अधिक प्रभावी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनती हैं। इससे ग्रामीणों में जिम्मेदारी, जागरूकता और लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ है।

इसके अतिरिक्त, 32 उत्तरदाताओं (27%) ने बताया कि उनकी पंचायत के निर्णयों में भागीदारी आंशिक है। इसका अर्थ है कि वे कभी-कभी ग्राम सभा या पंचायत बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी नियमित या पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—पंचायत बैठकों की जानकारी समय पर न मिलना, रोजगार और व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता, पंचायत की गतिविधियों के प्रति सीमित रुचि, या निर्णय-प्रक्रिया में अपने विचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में संकोच। इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रामीणों को यह महसूस होता है कि पंचायत के निर्णय पहले से ही निर्धारित होते हैं, जिससे उनकी भागीदारी का प्रभाव सीमित हो जाता है।

वहीं, 18 उत्तरदाताओं (15%) ने बताया कि उनकी पंचायत के निर्णयों में कोई भागीदारी नहीं है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ चुनौतियों और सीमाओं को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत बैठकों की जानकारी का अभाव, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी, सामाजिक और आर्थिक असमानता, तथा कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का पंचायत पर वर्चस्व शामिल हो सकता है। इसके अलावा, महिलाओं, अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से पंचायत की बैठकों में भाग लेने में संकोच करते हैं, जिससे उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है।

विकास में योगदान (Development Contribution)

तालिका 10: आधारभूत संरचना के विकास में योगदान

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण योगदान	84	70%
आंशिक योगदान	22	18%
कोई योगदान नहीं	14	12%

विश्लेषण:

तालिका 10 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 84 उत्तरदाताओं (70%) ने माना कि पंचायत का आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा, विद्युत व्यवस्था, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण तथा स्वच्छता सुविधाओं के विकास में सक्रिय रूप से कार्य किया है। पंचायत द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इन सुविधाओं के विकास से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आवागमन की सुविधा बढ़ी है, स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अधिक सुलभ हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिली है।

इसके अतिरिक्त, 22 उत्तरदाताओं (18%) ने माना कि पंचायत का आधारभूत संरचना के विकास में आंशिक योगदान रहा है। इसका अर्थ है कि पंचायत द्वारा कुछ विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन इनका लाभ सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—सीमित वित्तीय संसाधन, विकास कार्यों का असमान वितरण, तथा कुछ क्षेत्रों में योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ अभी भी अपर्याप्त हैं, जिससे पंचायत के प्रयासों का प्रभाव आंशिक रूप से ही दिखाई देता है। इसके अलावा, पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन में तकनीकी और प्रशासनिक सीमाएँ भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती हैं।

वहीं, 14 उत्तरदाताओं (12%) ने माना कि पंचायत का आधारभूत संरचना के विकास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ चुनौतियों और कमजोरियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता, योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, संसाधनों की कमी, तथा कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जटिलताएँ भी आधारभूत संरचना के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।

तालिका 11: ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
सुधार हुआ	88	73%
आंशिक सुधार	20	17%
कोई सुधार नहीं	12	10%

विश्लेषण:

तालिका 11 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत की भूमिका के परिणामस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 88 उत्तरदाताओं (73%) ने माना कि पंचायत के प्रयासों से उनके जीवन स्तर में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों ने ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायत द्वारा रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना, आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता और बिजली की व्यवस्था करना, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के प्रमुख कारक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), पेंशन योजनाएँ और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीणों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इन सुविधाओं के कारण ग्रामीणों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संतोष की भावना विकसित हुई है।

इसके अतिरिक्त, 20 उत्तरदाताओं (17%) ने बताया कि उनके जीवन स्तर में आंशिक सुधार हुआ है। इसका अर्थ है कि पंचायत द्वारा कुछ विकास कार्य और योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन उनका लाभ सभी ग्रामीणों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—संसाधनों का सीमित वितरण, योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन, तथा कुछ ग्रामीणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अपेक्षित सुधार का अभाव। कुछ परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं या उन्हें सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में केवल आंशिक सुधार ही संभव हो पाया है। इसके अलावा, शिक्षा और जागरूकता की कमी भी योजनाओं के प्रभावी लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है।

वहीं, 12 उत्तरदाताओं (10%) ने माना कि पंचायत के प्रयासों के बावजूद उनके जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ सीमाओं और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी, संसाधनों का असमान वितरण, जागरूकता का अभाव, तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता शामिल हो सकते हैं। कुछ ग्रामीण परिवार अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

तालिका 12: समग्र ग्रामीण विकास में पंचायत का योगदान

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
महत्वपूर्ण योगदान	90	75%
आंशिक योगदान	18	15%
कोई योगदान नहीं	12	10%

विश्लेषण:

तालिका 12 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी एवं नानपुर—में पंचायत ने समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाई है। कुल 120 उत्तरदाताओं में से 90 उत्तरदाताओं (75%) ने माना कि पंचायत का समग्र ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह तथ्य दर्शाता है कि पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास के विभिन्न आयामों को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पंचायत द्वारा रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जैसे कार्यों ने ग्रामीण समाज के समग्र विकास को गति दी है। इसके अतिरिक्त, पंचायत द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विभिन्न पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने ग्रामीणों के जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और विकास की नई संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, 18 उत्तरदाताओं (15%) ने माना कि पंचायत का समग्र ग्रामीण विकास में आंशिक योगदान रहा है। इसका अर्थ है कि पंचायत द्वारा विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, लेकिन इनका प्रभाव सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे—वित्तीय संसाधनों की कमी, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, पंचायत प्रतिनिधियों की सीमित सक्रियता, तथा कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक बाधाएँ। कुछ ग्रामीणों को विकास योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे उनके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो सका है। इसके अलावा, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी और पंचायत गतिविधियों में सीमित भागीदारी भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

वहीं, 12 उत्तरदाताओं (10%) ने माना कि पंचायत का समग्र ग्रामीण विकास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था की कुछ सीमाओं और चुनौतियों को दर्शाती है। इसके संभावित कारणों में पंचायत द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, संसाधनों का अनुचित वितरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा पंचायत प्रतिनिधियों की निष्क्रियता शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति धीमी होने और योजनाओं के लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक न पहुँचने के कारण ग्रामीणों में असंतोष की भावना भी देखी जा सकती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त प्रस्तुत तालिकाओं और प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने अध्ययन क्षेत्र के चयनित गाँवों—बिचपुरी, लरामदा, सुनारी और नानपुर—में ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाई है। पंचायती राज संस्थाओं ने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाते हुए ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाया है, जिससे ग्रामीण समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

सबसे पहले, रोजगार और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में पंचायत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अध्ययन के अनुसार अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि पंचायत द्वारा मनरेगा, स्वरोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे न केवल ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी आई है और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रवृत्ति में भी कमी आई है।

दूसरे, सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता के क्षेत्र में पंचायत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभाएँ, जागरूकता अभियान और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीणों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक समानता और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार में कमी आई है। पंचायत ने ग्रामीण समाज में सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देकर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

तीसरे, महिला और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। इससे महिलाओं और कमजोर वर्गों के आत्मविश्वास, सामाजिक स्थिति और आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूहों, महिला कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायत ने इन वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता की है।

चौथे, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। पंचायत द्वारा सड़क निर्माण, पेयजल सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युत सुविधा, विद्यालय और सामुदायिक भवनों का निर्माण जैसे कार्य किए गए हैं। इन सुविधाओं के विकास से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच अधिक सुलभ हुई है। आधारभूत संरचना के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूत किया है।

अंततः, पंचायत के प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन स्तर में समग्र सुधार देखने को मिला है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि पंचायत द्वारा लागू की गई विकास योजनाओं और कार्यक्रमों ने उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि ने ग्रामीणों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर बनाया है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंचायत व्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जैसे—जागरूकता की कमी, संसाधनों का असमान वितरण, राजनीतिक हस्तक्षेप और कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की सीमित सक्रियता। इन चुनौतियों के बावजूद, पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में लोकतंत्र को मजबूत करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में एक प्रभावी और महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाया है। अतः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज

व्यवस्था ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता, जनभागीदारी और जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक है।

संदर्भ सूची :

1. भारत सरकार। (2011)। *भारत की जनगणना 2011: जिला जनगणना पुस्तिका – आगरा (उत्तर प्रदेश)*। जनगणना संगठन, नई दिल्ली।
2. जिला सांख्यिकी कार्यालय, आगरा। (2022)। *जिला सांख्यिकी पत्रिका, आगरा*। उत्तर प्रदेश सरकार, आगरा।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा। (2023)। *पंचायती राज विभाग वार्षिक रिपोर्ट, आगरा जनपद*। उत्तर प्रदेश सरकार।
4. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA), आगरा। (2022)। *ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट, आगरा*। उत्तर प्रदेश सरकार।
5. उत्तर प्रदेश सरकार। (2022)। *आगरा जनपद की विकास रिपोर्ट*। योजना विभाग, लखनऊ।
6. Census of India. (2011). *District Census Handbook: Agra, Uttar Pradesh*. Government of India.
7. Singh, Kartar. (2000). *ग्रामीण विकास: सिद्धांत एवं प्रबंधन*। सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. दुबे, एस. सी. (1998)। *भारत के बदलते गाँव*। रावत प्रकाशन, जयपुर।
9. देसाई, ए. आर. (2005)। *भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र*। पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई।
10. उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग। (2022)। *पंचायती राज व्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट*। लखनऊ।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2022)। *मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश एवं आगरा जनपद*। भारत सरकार।
12. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आगरा। (2023)। *आगरा जनपद की आधिकारिक वेबसाइट एवं विकास रिपोर्ट*। उत्तर प्रदेश सरकार।
13. शर्मा, बी. के. (2010)। *भारत में पंचायती राज व्यवस्था*। दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14. सिंह, योगेन्द्र। (2004)। *भारत में सामाजिक परिवर्तन*। रावत प्रकाशन, जयपुर।
15. उत्तर प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। (2022)। *जिला आर्थिक एवं सामाजिक विकास रिपोर्ट: आगरा*। उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।